



# ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER .....  
सी.एन.आर संख्या .....

Number of Case प्रकार की संख्या ..... Year वर्ष .....

Versus बनाम .....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
1	<p>आदेश 39 नियम 2 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाबड़ी से प्राप्त तथात्मक मौका रिपोर्ट का अध्ययन एवं बाद बहस मनन करने से निःसंदेह जाहिर होता है कि तहसीलदार बाबड़ी से तथात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त ही नहीं है। पुनः मंगवाने का कार्य मौलिक नहीं है। अतः प्रार्थना - पत्र आदेश 39 नियम 7 CPC खीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्तु मूल - प्रार्थना - पत्र बहस हेतु दिनांक 23/09/2022 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>बाबड़ी जिला-जोधपुर</b> </p>	3
3/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई। बहुलाय उपस्थित। उभय पक्षकाराने सधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्राप्त तथात्मक रिपोर्ट (मौका रिपोर्ट) का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना की मूल शिकायत</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>बाबड़ी जिला-जोधपुर</b> </p>	



# ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER  
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या

Year वर्ष

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	<p>खसरा संख्या 1223/384, 384, 384/3 वर्तमान तरमीम के रकब से कम अंगुल खसरी का लेकर ही जिस संबंध में घटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट के पैरा सं 6 में भी इस बात की पुष्टि की ही कि खसरा नं. 384/1, 384/2, 384 (वर्तमान 1224/384 + 1223/384) व 384/3 (वर्तमान 1224/384 + 1225/384) की ऑनलाइन तरमीम में रही रकबा सम्बन्धी त्रुटि का सुधारने हेतु राजस्व ग्राम नैतड़ा के लक्ष्म नक्शा एवं नोमान्तरण संख्या 2849 विभाजन की पुस्त पर बनी नजरिया नक्शा तथा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरिया नक्शा (पैरा संख्या 6(b) के अनुसार तरमीम की जानी उचित है। अतः तहसीलदार द्वारा तरमीम त्रुटि हेतु प्रस्तावित नजरिया नक्शा 6(b) का सही मानते हुए खसरा संख्या 1223/384, 384/1, 1225/384, 384/2, की तरमीम शुद्ध एवं पार्श्व का पार्श्व-पज सन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम त्वीकार किया जाना उचित उत्तीत होता है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला-जोधपुर</p>

# FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER  
सी.एन.आर संख्या

Part of के न्यायालय में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Kind of Case प्रकार का प्रकार

131, 136 LR ACT

Number of Case प्रकार की संख्या

69/2022

Year वर्ष

गोपाराम

Versus बनाम

शार. सुधीरचन्द

Order with Initials of Presiding Officer

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश

Brief Note of Compliance of the order

आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण

3

आदेश<sup>2</sup>

शर्ती का प्रावना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी की आदेश दिया जाता है कि ग्राम-नेत्रा के खसरा स. 1223/384, 384/1, 1225/384, 384/2 प्रस्तावित नजरिया नकशा चैरा संख्या 6(4) अनुसार तहसीम शुद्ध कर राजस्व नकशी में संकेत करें। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत तहसीलक मोक्या कांच रिपोर्ट इस आदेश का भाग रहेगी। तहसीलदार बावड़ी की पालनाई तहरीर जारी है। पचावली नैबल शुमार एकट नम्बर 21 कम एवं हाथिल दफ्तर है। निर्णय मात्र शुर्त न्यायालय में सुनाया गया।



b  
उपखण्ड अधिकारी  
बावड़ी जिला-जोधपुर